रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3589] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939
No. 3589] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4108(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 72 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 जनवरी, 2017, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

और, रामपारा वन्यजीव अभयारण्य, 15.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और गुजरात राज्य के वांकानेर मुख्यालय के साथ मोरबी जिले में अक्षांश 22 31'82'' उत्तर और 22 34' 88 '' और 70 55'54'' पूर्व और 70 58' 59'' पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है। रामपारा वन्यजीव अभयारण्य, कुल 270 पौधों की प्रजातियों के साथ सबसे प्रचुर और सघन जैव-विविधता भागों में से एक है जिसमें 52 वृक्षों की प्रजातियां, 39 झाड़ियों की प्रजातियां, 41 पर्वतरोहियों की प्रजातियां, 97 जड़ी-बूटियों की प्रजातियां और 41 घासों की प्रजातियां सम्मिलित है और यह अच्छे गुणवत्ता वाले सागौन वन द्वारा चारों ओर से आच्छादित है। अभयारण्य में उभयचरों जैसे मेंढ़क, टोढ़, फ्लैप-शेल कछुआ और सितारा कछुआ का वास है और सन् 1998 में गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा और अनुसंधान (जीईईआर) संस्थान द्वारा अध्ययन में अभयारण्य में 10 परिवारों, 16 जेनेरा और 21 मकड़ियों की प्रजातियों, 15 सरीसृपों की प्रजातियों, 93 पक्षियों की प्रजातियों और 16 स्तनधारियों की प्रजातियों को

अभिलिखित किया गया। रामपारा वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति *फोनिक्स साइटवेस्ट्रिस* पाई जाती है। आईयूसीएन लाल सूची श्रेणी में, *सैकुरम बेंगालेंस, अनोगेसस लैटिफ़ोलिया, कॉमिपोरा वोगेई* और *विओला सिनेरिया* दुर्लभ प्रजातियां हैं जबकि *स्टरकुला यूरैन* और *फ्लैकोर्टिया इंडिका* संकटापन्न प्रजाति हैं।

और, रामपारा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीव-जन्तु प्रजातियों जैसे भेड़िया, चिंकारा, लकड़बग्घा, सियार, बनविलाव, लोमड़ी, साही, बनैला सूअर, ब्लू बुल, खरगोश आदि सम्मिलित हैं, के साथ वनस्पति की कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियां हैं;

और, रामपारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

और, पूर्व में यह क्षेत्र मोरबी जिले के रामपारा वन्यजीव अभयारण्य ग्रामों के समुद्र तट और दलदलीय राजस्व अपशिष्ट भूमि थी और लवणता को रोकने के लिए और तत्कालीन संत कबीर राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए और तत्पश्चात गुजरात सरकार ने तट पर भूमि-उद्धार बांध का निर्माण किया, जिससे पारिस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और अतीत की स्थिति में सुधार हुआ मीठे पानी के बड़े तालाब के रुप में उभरा है और यह विभिन्न प्राकृतिक जलीय वनस्पतियों का समर्थन करता है जो बदले में इस क्षेत्र में कई प्रवासी और निवासी पक्षियों का समर्थन करता है और यह उनके बसेरे और घोंसले के शिकार के लिए भी उपयुक्त है;

और, रामपारा वन्यजीव अभयारण्य की आर्द्र भूमि पारिस्थितिक-प्रणाली पालाकैरिकिटिक क्षेत्र से प्रवासी जलप्रवाह के लिए शीत भूमि है और आर्द्रभूमि पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण सर्दी और प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करता है; और इस अभयारण्य में भारत में एक असामान्य प्रजनक, ग्रेट क्रस्टेड ग्रेबे, (पोडिसेप्स क्रिस्टटस) के प्रजनन की रिपोर्ट की जाती है;

और, 1956 में श्रेष्ठ राज्य संत कबीर और महाराष्ट्र सरकार द्वारा रामपारा वन्यजीव अभयारण्य भूमि-उद्धार बांध का निर्माण किया गया था और इस ज्वलंत और कई प्रवासी के साथ-साथ निवासी पक्षियों के लिए क्षेत्र के महत्व को जाना, गुजरात सरकार ने इस क्षेत्र को पक्षी अभयारण्य के रूप में सरकारी अधिसूचना सं. एकेएच-81-डब्ल्यूएलपी-1081-102123/ पी -2 तारीख 27 मई, 1981 और एकेएच-209/82-डब्लूएलपी/1081/102123-वी-2 , तारीख 6 नवम्बर, 1982 के अनुसार घोषित किया;

और, उपरोक्त संरक्षित क्षेत्र के वंशानुगत संसाधनों को सुधारने तथा परिरक्षित करने के उद्देश्य से आवास प्रबंध द्वारा पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रुप में रामपारा अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, सुरक्षित और संरक्षित करना, तथा स्थानीय प्रजातियों को पुनः लाना तथा उनका पुनर्वास करना, पर्यावरणीय शिक्षा तथा पारिस्थितिक अनुसंधान का संवर्धन करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में रामपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के लगभग 0.17 किलोमीटर और 4.25 किलोमीटर के विस्तार तक रामपारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) रामपारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 31.08 वर्ग किलोमीटर तक होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का न्यूनतम और अधिकतम विस्तार क्रमशः लगभग 0.17 किलोमीटर और 4.25 किलोमीटर के मध्य होगा।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा के ब्यौरों और अक्षांशों तथा देशांतरों सहित **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) रामपारा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन भू-निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) रामपारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास ;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो,और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) ऐसी अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के कार्य करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन राज्य सरकारों के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसके अंतर्गत गृह वास भी है;

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – –(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) रामपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परन्तु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार कार्यान्वित होगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित होगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव–चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन, जैसे कि सीएनजी आदि, के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए ईंटों या देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006, और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014, के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नई बृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्लास्टिक के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिकी संवेदी जोन या संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर, दोनों में से जो समीप हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं; परन्तु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होंगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क)संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए

		संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
12.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
17.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी को केवल वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा; (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है; (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबलों का लगना संवर्धित किया जाएगा) ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । (वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य

		वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।)
23.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
27.	वन उत्पाद और गैर लकड़ी उत्पाद एकत्रित करना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	ट्रेकिंग और शिविर लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	एक से दस गेडियंट तक के ढालू पहाडी पर और किसी नदी, नहर और उप नदी के तट से 100 मीटर तक भी कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समित द्वारा अन्यथा अनुज्ञात नहीं कर दिया गया हो ।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंध ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	चालू कृषि पद्धति, पौधा रोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कार्बनिक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पौधा रोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि/वन/आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

42.	पर्यावरण संबंधी जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- इस अधिसूचना के तीन महीनों के भीतर केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	कलेक्टर, मोरबी जिला	-अध्यक्ष;
2.	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
3.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनो का भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोरबी	-सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग, चंदौली	-सदस्य;
6.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	-सदस्य;
7.	जैव विविधता विशेषज्ञ	-सदस्य;
8.	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	-सदस्य;
9.	गुजरात सरकार के पर्यावरण और वन विभाग का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
10.	भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र विशेषज्ञ	-सदस्य;
11.	उप वन संरक्षक (अभयारण्य का प्रभारी), राजकोट	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन:

(1) मानीटरी समिति अंतिम अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के गठन तक होगा ।

(3) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर पहली मानीटरी समिति का गठन किया जाएगा।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना

सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में, सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, आने वाले क्रियाकलापों को वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(6) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(8) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उक्त वर्ष के 30 जून तक **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार प्रस्तुत करेगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे निर्देश जो वह ठीक समझे मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सकेगा।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/31/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

भारत के सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानिचत्र

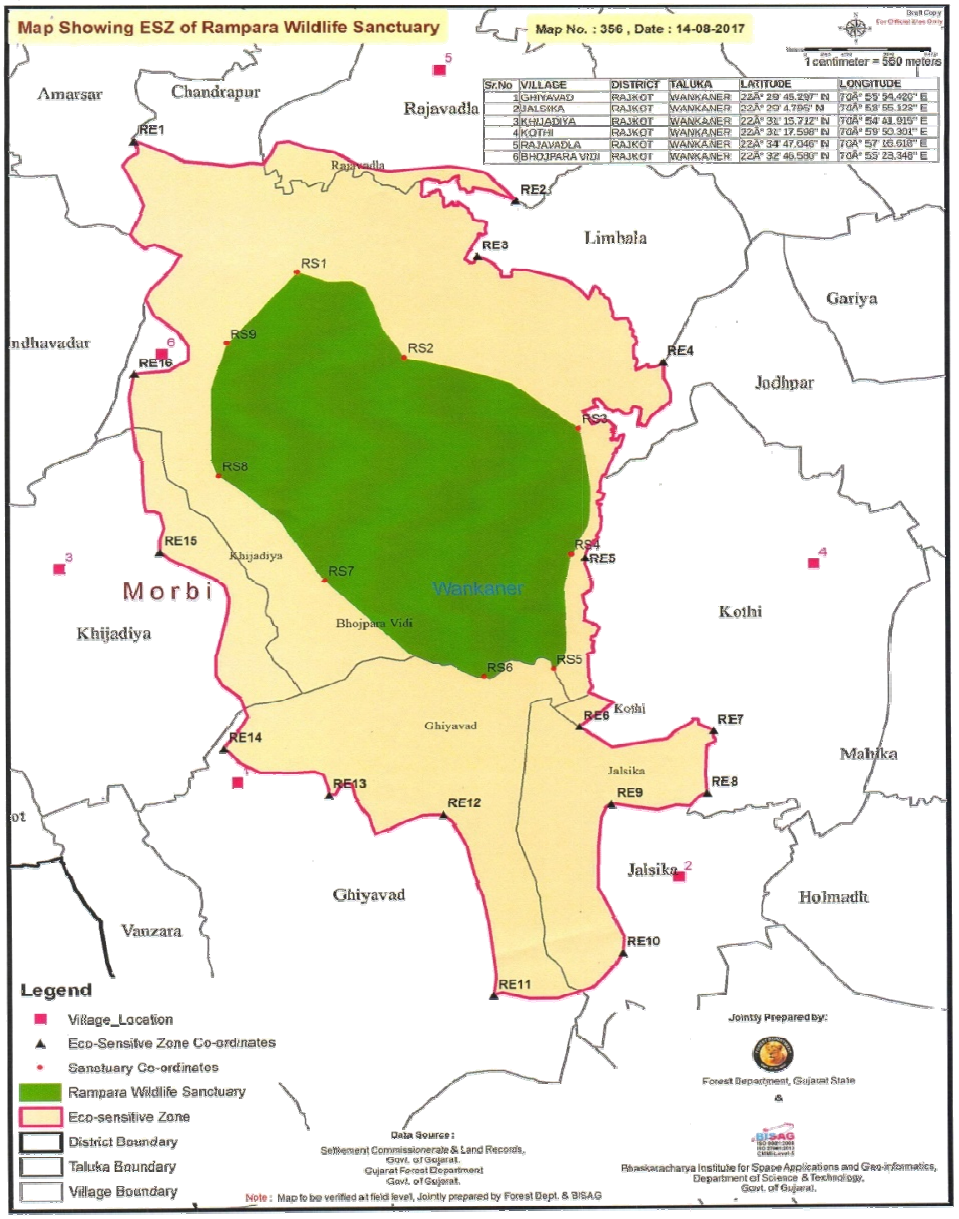

उपाबंध -II

सारणी क: संरक्षित क्षेत्र की सीमा के दर्शाये गये मानचित्र में अक्षांश-देशांतर के मुख्य अवस्थानों के साथ निर्देशांको की सूची

क. निर्देशांकों के साथ रामपारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

रामपारा अभयारण्य के निर्देशांक			
क्र. सं.	**कोड**	**देशांतर**	**अक्षांश**
1.	आर एस1	70°56'18.915" पू	22°33'21.184"उ
2.	आर एस2	70°57'2.550" पू	22°32'45.142"उ
3.	आर एस3	70°58'13.921" पू	22°32'15.232"उ
4.	आर एस4	70°58'10.886"पू	22°31'21800"उ
5.	आर एस 5	70°58'3.505"पू	22°30'33.339"उ
6.	आर एस6	70°57'35.178"पू	22°30'29.935"उ
7.	आर एस7	70°56'30.267"पू	22°3`1'10.716"उ
8.	आर एस8	70°55'47.100"पू	22°31'55.181"उ
9.	आर एस9	70°55'50.051"पू	22°32'51.189"उ

ख. निर्देशांकों के साथ रामपारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

रामपारा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक			
क्र. सं.	**कोड**	**देशांतर**	**अक्षांश**
1.	आर ई1	70°55'11.741" पू	22°34'16.811"उ
2.	आर ई 2	70°57'48.113" पू	22°33'51.861"उ

3.	आर ई3	70°57'32.427" पू	22°33'28.343"उ
4.	आर ई4	70°58'48.507" पू	22°32'43.360"उ
5.	आर ई5	70°58'16.570" पू	22°31'20.532"उ
6.	आर ई6	70°58'14.034" पू	22°30'8.955"उ
7.	आर ई7	70°59'9.262" पू	22°30'7.200"उ
8.	आर ई8	70°59'6.3967" पू	22°29'40.672"उ
9.	आर ई9	70°58'27.467" पू	22°29'32.123"उ
10.	आर ई10	70°58'31.895" पू	22°28'32.917"उ
11.	आर ई11	70°57'39.467" पू	22°28'14.877"उ
12.	आर ई12	70°57'18.710" पू	22°29'31.771"उ
13.	आर ई13	70°56'31.842" पू	22°29'40.086"उ
14.	आर ई14	70°55'49.116" पू	22°29'59.865"उ
15.	आर ई15	70°55'22.641" पू	22°31'22.918"उ
16.	आर ई16	70°55'12.218" पू	22°32'38.240"उ

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ रामपारा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम	जिला	तालुका	अक्षांश	देशांतर
1.	घियावाड	राजकोट	वांकानेर	22°29'45.297" उ	70°55'54.420" पू
2.	जलसिका	राजकोट	वांकानेर	22°29'4.795" उ	70°58'55.123" पू
3.	खिजादिया	राजकोट	वांकानेर	22°31'15.712" उ	70°54'41.915" पू
4.	कोथी	राजकोट	वांकानेर	22°31'17.598" उ	70°59'50.301" पू
5.	राजावदला	राजकोट	वांकानेर	22°34'47.046" उ	70°57'16.618" पू
6.	भोजपाराविदि	राजकोट	वांकानेर	22°32'46.580" उ	70°55'23.348" पू

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2017

S.O. 4108(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.72 (E), dated the 10th January, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 10th January, 2017;

AND WHEREAS**,** objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS**,** the Rampara Wildlife Sanctuary spread over an area of 15.01 square kilometres is situated between latitude 22 31' 82" N and 22 34'88'' N and between 70 55'54'' E and 70 58'59'' E longitude in Morbi district with the headquarters at Wankaner in the State of Gujarat and is one of the richest and compact bio-diversity patches with a total 270 species of plants which include 52 species of trees, 39 species of shrubs, 41 species of climbers, 97 species of herbs and 41 grasses and it is covered on all sides by very good quality teak forest, and he said Sanctuary is a home to Amphibians such as Frogs, Toads, Flap-shell Turtle and Star tortoise and the study carried out by the Gujarat Ecological Education and Research (GEER) foundation in the year 1998 has recorded 10 families, 16 genera and 21 species of spiders in the Sanctuary, 15 species of reptiles, 93 species of birds and 16 species of mammals; *Phoenix sytvestries* is the important threatened species found in the said Sanctuary and in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) redlist category, *Saccharum bengalense, Anogeissus latifolia, Commiphora wightii* and *Viola cinerea* are the rare species while *Sterculia urens* and *Flacourtia indica* are the threatened species;

AND WHEREAS, the Rampara Wildlife Sanctuary includes Wolf, Chinkara, Hyana, Jackal, Jungle Cat, Fox, Porcupine, Wild boar, Blue bull, Hare, etc. as the major faunal species along with many rare and endangered species of flora;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Rampara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

AND WHEREAS, formerly this area was a sea-coast and marshy revenue waste land of villages Rampara Wildlife Sanctuary of Morbi district and to prevent salinity ingress and to reclaim the land, the erstwhile Sant Kabir State and subsequently the Government of Gujarat constructed a reclamation bund along the coast, which made a remarkable change and improvement in the situation that prevailed in the past as large pond of sweet water has emerged and this supports a variety of natural aquatic vegetation which in turn supports numerous migratory and resident birds in this area and it is also suitable for their roosting and nesting ;

AND WHEREAS, the wetland eco-system of Rampara Wildlife Sanctuary is a wintering ground for migratory waterfowls from Palacarcitic region and serves as an important wintering and breeding ground for many species of wetland birds, and an uncommon breeder in India, Great crested grebe, (Podiceps cristatus), is reported breeding in this sanctuary ;

AND WHEREAS**,** Rampara Wildlife Sanctuary reclamation bund was constructed by the Princely State of Sant Kabir and Government of Maharastra in 1956 and on realising the importance of the area for the vivid and numerous migratory as well as resident birds, the Government of Gujarat declared this area as Bird Sanctuary vide Government notifications No. AKH-81-WLP-1081-102123/P-2 dated the 27th May, 1981 and AKH-209/82-WLP/1081/102123-V-2, dated the 6th November, 1982;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Rampara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of above protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promotion of environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3)

of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying between 0.17kilometer and 4.25 kilometers around the boundary of Rampara Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as the Rampara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The area of the Eco-sensitive Zone is 31.08 square kilometers and the minimum and maximum extent of the Eco-sensitive Zone is 0.17 kilometer and 4.25 kilometers respectively surrounding the protected area of the Rampara Wildlife Sanctuary.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-I**

(3) The Geo-coordinates of Rampara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this final notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Governments to meet the residential needs of the local residents, and for activity such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism -** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Rampara Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their

conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution.-** -Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent

		authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
17.	Erection of electric cables.	Regulated under applicable laws.
18.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the protected area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
20.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws; (underground cabling shall be promoted). .
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws; (In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan).
23.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the

		Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
28.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river or natural nallah.
30.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
32.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
39.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	Collector, Morbi District	Chairman
2.	A representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change , Government of India	Member
3.	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change Government of India	Member
4.	Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Morbi	Member

5.	Executive Engineer of Public Works Department, Chandauli	Member
6.	Expert Ecology	Member
7.	Expert Biodiversity	Member
8.	Senior Town Planner of the area	Member
9.	A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat	Member
10.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India	Member
11.	Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Rajkot	Member Secretary.

6. **Terms of reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the Constitution of the new Committee by the State Government.

(3) The first Monitoring Committee shall be constituted within three months from the date of publication of this Notification.

(4) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(5) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(6) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector (s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the this notification.

(7) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(8) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(9) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/31/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

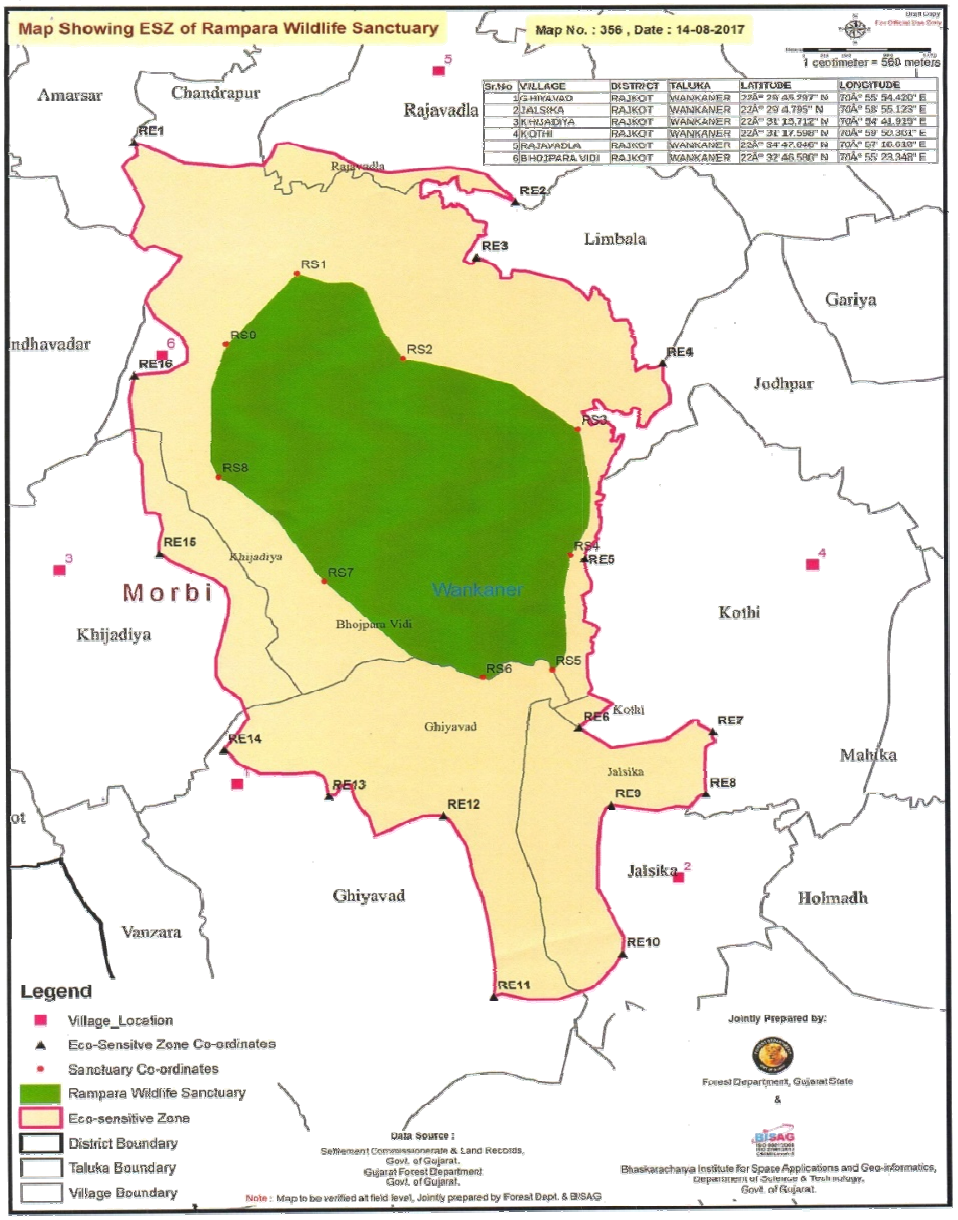

ANNEXURE-II

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of the Protected Area shown on Map

A. Boundary description of Rampara Wildlife Sanctuary along with the Co-ordinates

Rampara Sanctuary Co-ordinates			
Sr. No.	**Code**	**Longitude**	**Latitude**
1.	RS1	70°56'18.915" E	22°33'21.184"N
2.	RS2	70°57'2.550" E	22°32'45.142"N
3.	RS3	70°58'13.921" E	22°32'15.232"N
4.	RS4	70°58'10.886"E	22°31'21800"N
5.	R55	70°58'3.505"E	22°30'33.339"N
6.	RS6	70°57'35.178"E	22°30'29.935"N
7.	RS7	70°56'30.267"E	22°3`1'10.716"N
8.	RS8	70°55'47.100"E	22°31'55.181"N
9.	RS9	70°55'50.051"E	22°32'51.189"N

B. Boundary description of Eco-sensitive Zone of Rampara Sanctuary along with Co-ordinates

Rampara Sanctuary Eco-sensitive Zone Co-ordinates			
Sr. No.	**Code**	**Longitude**	**Latitude**
1.	RE1	70°55'11.741" E	22°34'16.811"N
2.	RE 2	70°57'48.113" E	22°33'51.861"N
3.	RE3	70°57'32.427" E	22°33'28.343"N
4.	RE4	70°58'48.507" E	22°32'43.360"N
5.	RE5	70°58'16.570" E	22°31'20.532"N
6.	RE6	70°58'14.034" E	22°30'8.955"N
7.	RE7	70°59'9.262" E	22°30'7.200"N
8.	RE8	70°59'6.3967" E	22°29'40.672"N
9.	RE9	70°58'27.467" E	22°29'32.123"N
10.	RE10	70°58'31.895" E	22°28'32.917"N
11.	RE11	70°57'39.467" E	22°28'14.877"N
12.	RE12	70°57'18.710" E	22°29'31.771"N
13.	RE13	70°56'31.842" E	22°29'40.086"N

14.	RE14	70°55'49.116" E	22°29'59.865"N
15.	RE15	70°55'22.641" E	22°31'22.918"N
16.	RE16	70°55'12.218" E	22°32'38.240"N

ANNEXURE-III

List of villages falling within the Eco-sensitive zone of Rampara Wildlife along with geo-coordinates

Sr. No.	VILLAGE	DISTRICT	TALUKA	LATITUDE	LONGITUDE
1.	GHIYAVAD	RAJKOT	WANKANER	22°29'45.297" N	70°55'54.420" E
2.	JALSIKA	RAJKOT	WANKANER	22°29'4.795" N	70°58'55.123" E
3.	KHIJADIYA	RAJKOT	WANKANER	22°31'15.712" N	70°54'41.915" E
4.	KOTHI	RAJKOT	WANKANER	22°31'17.598" N	70°59'50.301" E
5.	RAJAVADLA	RAJKOT	WANKANER	22°34'47.046" N	70°57'16.618" E
6.	BHOJPARA VIDI	RAJKOT	WANKANER	22°32'46.580" N	70°55'23.348" E

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.09 08:37:21 +05'30'